

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

केद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर : UPS के लिए आवेदन की अंतिम तिथि
30 जून 2025, जाने पूरी डिटेल ।

Publisher

Published on 24 May 2025



24 मई 2025 | न्यूज़ डेस्क — समाचारवाणी डॉट कॉम

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है । यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की अंतिम तारीख **30 जून 2025** तय की गई है । जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं, उनके पास अब सीमित समय बचा है । **UPS, NPS** से अलग एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम है, जिसमें निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है ।

UPS क्या है और कैसे अलग है NPS से ?

UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय पेंशन मिलती है, जबकि **NPS** में पेंशन अमाउंट शेयर बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है ।

UPS के तहत फायदे :

- अगर कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद औसत बेसिक सैलरी का **50%** हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा ।
- उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी **₹50,000** है, तो उसे **₹25,000** मासिक पेंशन मिलेगी ।
- 10 साल** से अधिक सेवा करने वालों को भी पेंशन मिलेगी, पर उसकी राशि कम होगी ।

अगर आप **30 जून 2025** तक **UPS** के लिए आवेदन नहीं करते तो ?

अगर कोई कर्मचारी निर्धारित अंतिम तिथि तक **UPS** के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसे डिफॉल्ट रूप से **NPS** के तहत ही रखा जाएगा ।

और एक बार UPS का विकल्प चुनने के बाद वापस NPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी।

UPS के लिए पात्रता :

१. केवल वे कर्मचारी जो वर्तमान में **NPS** के तहत आते हैं।
२. जिन्होंने कम से कम **25 साल की सरकारी सेवा** पूरी कर ली है।
३. ऐसे कर्मचारियों को फॉर्म भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
४. **पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)** ने यह भी स्पष्ट किया है कि **UPS** लागू होने की तिथि (1 अप्रैल 2025) से तीन महीनों के भीतर, यानी **30 जून 2025** तक कर्मचारियों को योजना चुननी होगी।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.